बिहार विकास मिशन

(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना–800023
दूरभाष संख्याः–0612–2285262

सं0सं0–LL-01/2026-HR-BVM

–:: आदेश ::–

बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या–622, दिनांक–27.10.2016 के माध्यम से श्री अभिनव कुमार का नियोजन संविदा के आधार पर सुपरवाईजर आई0टी0 के पद पर करते हुए दिनांक–27.10.2016 के प्रभाव से जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, भागलपुर में पदस्थापित किया गया था तथा आदेश संख्या–798 अनु0, दिनांक–07.08.2021 द्वारा श्री कुमार का स्थानान्तरण जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, भागलपुर से जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, गया किया गया।

2. श्री कुमार, सुपरवाईजर आई0टी0 द्वारा दिनांक–05.01.2026 से दिनांक–03.02.2026 तथा दिनांक–05.02.2026 से दिनांक–02.03.2026 तक बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के अनुमान्यता से अधिक अवैतनिक अवकाश का आवेदन देकर कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने आदि के संबंध में जिला योजना पदाधिकारी के पत्रांक–64, दिनांक–10.02.2026 द्वारा श्री कुमार को स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। उक्त संदर्भ में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने तथा दिनांक–05.01.2026 से लगतार कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में जिला योजना पदाधिकारी, गया के पत्रांक–179, दिनांक–25.05.2026 द्वारा श्री कुमार को पुनः स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त प्रसंग में जिला योजना पदाधिकारी, गया के पत्रांक–242, दिनांक–30.06.2026 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने तथा उनका जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, गया में दिनांक–05.01.2026 से लगातार कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के संबंध में HR Manual के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

3. बिहार विकास मिशन के HR Manual के HR Policy No.-10 की कंडिका–3.4.7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बिहार विकास मिशन में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को एक एकरारनामा अवधि में अधिकत्तम 30 (तीस) दिनों का अवैतनिक अवकाश अनुमान्य है।

4. अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग–सह–सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत बिहार विकास मिशन का पत्रांक–542, दिनांक–18.06.2021 द्वारा संविदा नियोजित कर्मियों के एक एकरारनामा अवधि में अनुमान्य अवैतनिक अवकाश (30 दिन) से अधिक अवैतनिक अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने का निर्णय संसूचित है तथा उक्त परिपत्र

में स्पष्ट निदेशित है कि बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के अवैतनिक अवकाश में जाने पर HR Manual के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में नियोजित कर्मियों का एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।

5. श्री कुमार के अनाधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण बिहार विकास मिशन के HR Manual के HR Policy No.-10 की कंडिका–3.4.5 एवं HR Policy No.-19 की कंडिका–6.5.8 में निहित प्रावधान एव बिहार विकास मिशन का पत्रांक–542, दिनांक–18.06.2021 के आलोक में उन्हें दिनांक–04.01.2026 के अपराह्न से बर्खास्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव में सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

अवर सचिव–HR (Management) & IT,
बिहार विकास मिशन

ज्ञापांकः– LL-01/2026-HR-BVM ....पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गया/ उप विकास आयुक्त, गया/ जिला योजना पदाधिकारी, गया/ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार विकास मिशन/प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, गया/ श्रीमती रश्मि रंजन, मैनेजमेंट एसोसिएट, बिहार विकास मिशन/ श्री अभिनव कुमार, सुपरवाईजर आई0टी0, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, गया/एच0आर0 मैनेजर, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, गया से अनुरोध है कि श्री अभिनव कुमार, सुपरवाईजर आई0टी0, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, गया से सम्पूर्ण प्रभार प्राप्ति एवं बकाया (यदि कोई हो) की वसूली के संबंध में अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

Signed by
Ritesh Ranjan
Date: 29-07-2026 11:47:28

अवर सचिव–HR (Management) & IT